

नगर परिषद, चित्तौड़गढ़

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/CHITTORGARH/FIRENOC/2023-24/24992
जारी दिनांक: 22-DEC-2023

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SHEKHAR SHANKER KUMAWAT
आवेदक का पता: CHAMTI KHERA ROAD CHITTORGARH

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन AIM ACADEMY, 72/73/74/1493/1494, CHAMTI KHERA ROAD, OCHARI, CHITTORGARH, CHITTORGARH, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

- अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष कि अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा। अन्यथा अनापत्ति पत्र स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
- भवन/इकाई के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक प्रदार्थ व अति ज्वलनीय प्रदार्थ नहीं रखा जावेगा।
- अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
- निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा।
- यदि राज्य सरकार या परिषद द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबन्धक को मान्य होगा।
- भवन का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने कि स्थिति में यह अभिशंका पत्र निरस्त माना जाएगा।
- पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पुरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
- फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घंटे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के समस्त स्टाफ व सिक्वोरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
- रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
- यह अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
- भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उपरोक्त फायर एन.ओ.सी जारी दिनांक के बाद यदि आगजनी संबंधित कोई भी घटना घटित होती है तो संबंधित अधिभोगी पर नियमानुसार शास्ति लगाकर कार्यवाही की जावेगी।
- आगजनी घटना के कारण यदि किसी भी तरह की मानवीय क्षति होती है तो अधिभोगी के विरुद्ध निर्धारित नियमानुसार कठोरतम कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, चित्तौड़गढ़